संख्या-189/2017/3377/26-3-2017-48(विविध)/2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः 29 दिसम्बर 2017

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बलरामपुर के विकास कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1795-96/स0क0/विकास/एकीकृत/37/2017-18, दिनांक-07.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बलरामपुर के विकासखण्ड-रेहरा बाजार व गेण्डास बुर्जुग के विभिन्न 14 ग्रामों में इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं लेपन कार्यो की निम्न विवरणानुसार अंकित परियोजनाओं की कुल लागत रू0-4025.472 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार धनराशि रू0-2012.73 लाख (रूपया बीस करोड़ बारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कुल परियोजना लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बलरामपुर	रेहरा बाजार	अचलपुर चौधरी	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	302.019	151.01
2	बलरामपुर	रेहरा बाजार	धुनपुर	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	257.896	128.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	बलरामपुर	रेहरा बाजार	किशुनपुर सेंगर	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	122.672	61.34
4	बलरामपुर	रेहरा बाजार	मनवागढ़	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	274.559	137.28
5	बलरामपुर	रेहरा बाजार	मनीगढ़	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	303.477	151.74
6	बलरामपुर	रेहरा बाजार	इटवा	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	457.24	228.62
7	बलरामपुर	रेहरा बाजार	परशुरामपुर	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	212.961	106.48
8	बलरामपुर	रेहरा बाजार	रेखाडीह	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	239.245	119.62
9	बलरामपुर	गेण्डास बुर्जुग	परानपुर	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	152.06	76.03
10	बलरामपुर	गेण्डास बुर्जुग	अमहवा	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	281.435	140.72
11	बलरामपुर	गेण्डास बुर्जुग	बंजरिया	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	593.552	296.78
12	बलरामपुर	गेण्डास बुर्जुग	रसूलाबाद	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	352.67	176.33
13	बलरामपुर	गेण्डास बुर्जुग	सहियापुर	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	212.491	106.24
14	बलरामपुर	गेण्डास बुर्जुग	नरायनपुर	इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण	263.195	131.59
				कुल योग	4025.472	2012.73

(1)-प्रश्नगत जनपद-बलरामपुर की परियोजनाओं का प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, बलरामपुर से कार्यदायी संस्था ''उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0'' से आगणन गठित कराकर उपलब्ध कराया गया है। अतः निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था ''उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा एवं व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0संख्या-189/2017/3377/(1) 26-3-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ), उ0प्र0शासन।

3.जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बलरामपुर।

4.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

5.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7.वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,उ0प्र0सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, विद्यालय भवन, निशातगंज लखनऊ।

8.प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ।

9.जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।

10.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

12.गार्डफाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) **वित्तीय वर्ष 2017-2018** **(धनराशि लाख रू0 में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(के.60/रा.40-के.+रा.)- 24-वृहत निर्माण कार्य-	14163.89	2012.73	2012.73	2012.73	12151.16
योग	14163.89	2012.73	2012.73	2012.73	12151.16

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य-	1500.00	3512.73	2012.73	2012.73	3512.73
योग	1500.00	3512.73	2012.73	2012.73	3512.73

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0- 138 /दस-2017, दि0 21-12-17

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

352.67 | 176.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 189/2017/3377 (1)/26–3–2017–48(विविध)/2017–दिनांक दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, बलरामपुर।
6– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ।
8– जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
10– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा।
11– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।